


22/10/24

अपील संख्या 100/24

पत्रावली आवक पेशा दुरी माननीय राज्य मंडल अफसर  
 के पत्र क्रमांक TA/निग/9552/07 दिनांक 10/12/23 द्वारा  
 मंडल के निर्णय दिनांक 25/04/23 की पुष्कालि प्रक्ति  
 पाव दुरी पिस्के अनुसार माननीय राज्य मंडल अफसर  
 द्विसा प्रकरण में 'गधी' तरपत सिंट को  
 प्रकरण में पक्षकार संयोजित करते हुए प्रकरण  
 प्रसिप्रसित कर निर्देशित किया है कि प्रकरण  
 में तरपत सिंट पक्षकार संयोजित कर सुनवाई  
 का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण को  
 निर्णित करे।

उभयपक्ष अधिवक्ता होर करवाया  
 गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

 राज्य मंडल अधिकारी  
 पेशा दुरी

जिसके अनुसार अधीनस्थ अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 25/12/2003 में नरपत सिंह वतौर पदाकार संयोजित नहीं हैं। एतारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील के स्तर पर पक्षकारों की सुनवाई को सीमित अपसर होता है। इस स्तर पर ~~अपसर~~ अपाव किया जाना अपेक्षित होता है एवं न ही विनृत साक्ष्य एवं पस्तावेज प्राप्त किया जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्देश की "अधीनस्थ सिटकोविधिनुसार पक्षकार संघोजित करते हुए उनकी सुनवाई व साक्ष्य को अपसर उपान करने हुए पुनः विधिनुसार उचित निर्णय पारित करना सुनिश्चित करें।" की पालना किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा उपरत दिशानिर्देश की पालना करते हुए प्रकरण में विधिनुसार पुनः निर्णय पारित करने के लिए प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक एवं उचित होगा। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अहामरु कलेक्टर असवंतपुरा को प्रतिप्रेषित कर माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित निर्णय की प्रति प्रेषित करते हुए निर्देश उपरत निरुधे जाते हैं कि प्रकरण में अधीनस्थ सिट की विधिनुसार पक्षकार संयोजित करते हुए अधीनस्थ को सुनवाई को सीमित अपसर उपान करते हुए प्रकरण में विधिनुसार पुनः निर्णय पारित करें।

राजकुमार अपील प्राधिकारी  
अधीनस्थ न्यायालय

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्रावली इसी अनुरूप इसी मुताबिक  
कैमल कुमार को निर्णय की पुमाबित प्रति  
अधीनस्थ न्यायालय को पुरित की जावे।  
निर्णय आज दिनांक 22/10/24 को खुले  
न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली बाक तकमील हाजिल  
दफ्तर हो।

राजेश अशोक भादिकारी  
पाली डेप्युटी जज